



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



29 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 30 राँची, बुधवार

20 सितम्बर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 262-283
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेशों के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप्लोमा-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2023

1. **संख्या-13/पी1-104/2021-4079-सी०, श्री माईकल राज एस०, भा०पु०से०(2006),** पुलिस उप- महानिरीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
2. **संख्या-13/पी1-104/2021-4080-सी०, श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से०(2011),** पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
3. **संख्या-13/पी1-104/2021-4081-सी०, श्री कौशल किशोर, भा०पु०से०(2012),** वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
4. **संख्या-13/पी1-104/2021-4082-सी०, श्री हरिश बिन जमाँ, भा०पु०से०(2017)** पुलिस अधीक्षक, यातायात, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
5. **संख्या-13/पी1-104/2021-4083-सी०, श्री हरविन्दर सिंह, भा०पु०से०(2018),** अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सरायकेला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
6. **संख्या-13/पी1-104/2021-4084-सी०, श्री ऋषव गर्ग, भा०पु०से०(2019),** अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मेदिनीनगर पलामू को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
7. **संख्या-13/पी1-104/2021-4085-सी०, श्री कपिल चौधरी, भा०पु०से०(2019)** अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, चक्रधरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

8. **संख्या-13/पी1-104/2021-4086-सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- F.NO.I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री दीपक कुमार पाण्डेय** को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, (अभियान), लोहरदगा के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
9. **संख्या-13/पी1-104/2021-4087-सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री अनुदीप सिंह** को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, एस.आई.आर.बी.-02, खूँटी के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
10. **संख्या-13/पी1-104/2021-4088-सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री अनिमेष नैथानी** को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, खेलारी के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
11. **संख्या-13/पी1-104/2021-4089-सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री राजकुमार मेहता** को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, झा०स०पु०-07, हजारीबाग के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक(नगर), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
12. **संख्या-13/पी1-104/2021-4090-सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री मनीष टोप्पो** को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा(एस०आई०बी०) के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
13. **संख्या-13/पी1-104/2021-4091-सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री आरिफ एकराम** को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, सी०सी०आर०, हजारीबाग के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
14. **संख्या-13/पी1-104/2021-4092-सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री कैलाश करमाली** को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, (मुख्यालय), लातेहार के पद से स्थानांतरित

करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

15. **संख्या-13/पी1-104/2021-4093--सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री पूज्य प्रकाश** को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
16. **संख्या-13/पी1-104/2021-4094--सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री अजय कुमार** को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
17. **संख्या-13/पी1-104/2021-4095--सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री शम्भू कुमार सिंह** को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, टण्डवा, चतरा के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
18. **संख्या-13/पी1-104/2021-4096--सी०**, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०- F.NO. I-14011/23/2021-IPS-I (E)-(I) दिनांक-19.07.20223 द्वारा नवनियुक्त **भा०पु०से० श्री अजीत कुमार** को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बालुमाथ के पद से स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (नगर), धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

11 सितम्बर, 2023

संख्या-16/नि०-03/ 2016-4132--महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से प्राप्त अनुशंसा एवं प्रस्ताव के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-1262, दिनांक-08.03.2017 द्वारा अधिसूचित नियमावली-"झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली (भर्ती पद्धति), 2016" के नियम-3 में निहित प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) वेतनमान- पी०बी०-II, 9300-34800 एवं ग्रेड पे-4200, के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति तथा 50 प्रतिशत प्रोन्नति के माध्यम से भरे जायेंगे। प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों को ऐसे सहायक अवर निरीक्षक ऑपरेटरों/तकनीकी से भरे जायेंगे, जिन्होंने ग्रेड- II की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।"

2. उपरोक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायें ।

3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2023

संख्या-13/आई०पी०एस०-124/2019-4052--श्रीमती निधि द्विवेदी, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-18 (i) में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-21.08.2023 से 16.02.2024 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

11 सितम्बर, 2023

संख्या-16/विविध-06/2019-4133--राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-1169, दिनांक-27.02.2017 के कंडिका-10(क) के प्रावधान एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-3677, दिनांक-13.09.2022 द्वारा संशोधित प्रावधान में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:- पूर्व प्रावधान के वाक्यांश" विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि 06 (छः) वर्ष से अधिक नहीं होगी। को

"विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि 07 (सात) वर्ष से अधिक नहीं होगी।" से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

2. उपरोक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

18 नवंबर, 2022

संख्या-19नि०-08/2016-4616--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-अ, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, "विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली (अधिसूचना संख्या-6350, दिनांक-18.10.2010, अधिसूचना संख्या-1641, दिनांक-17.03.2016 यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

2. विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्त हेतु अधिसूचित के नियम-5 (ख) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“शैक्षणिक योग्यता:-उम्मीदवार को 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण अनिवार्य है ।”

को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-” झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।”

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक /10 वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

“परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।”

3 विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली के नियम-5 (क)(i) एवं 5(च) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“5 (क)(i) लिखित परीक्षा का आयोजन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचांग वर्ष 01ली जनवरी के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की गणना कोटिवार की जायेगी तथा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड, राँची के कार्यालय से प्राप्त अध्याचना एवं रिक्ति विवरणी, प्रशासी विभाग द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के माध्यम से आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। विज्ञापन का प्रकाशन, आवेदन का प्रपत्र, आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं समर्पित करने की रीति, आवेदन पत्रों की जाँच, प्रश्न पत्र का चयन, परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच तथा परीक्षाफल का प्रकाशन इत्यादि व्यवस्था झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

“5(च) मुख्य लिखित परीक्षा- निम्नांकित विषयों के बारहवीं स्तर के प्रश्न होंगे:-

I. प्रथम पत्र-

सामान्य हिन्दी-100 अंक।

II. द्वितीय पत्र-

सामान्य ज्ञान-100 अंक।

इस पत्र में सामयिक विषय, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान, इतिहास एवं भूगोल से संबंधित 80 अंक के प्रश्न तथा सामान्य परीक्षण से संबंधित 20 अंक के प्रश्न होंगे।

III. तृतीय पत्र-

अंग्रेजी भाषा परीक्षा-50 अंक।

इस पत्र में व्याकरण, लेख, पत्र लेखन, हिन्दी अनुवाद एवं अंग्रेजी अनुवाद के प्रश्न होंगे।

उपरोक्त सभी पत्र बारहवीं स्तर के होंगे।

IV. चतुर्थ पत्र-

सामान्य विज्ञान एवं गणित-100 अंक।

इस पत्र में सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न 8 वीं कक्षा के स्तर के

रहेंगे।

V. स्थानीय भाषा- 50 अंक।

स्थानीय भाषा का पत्र **Qualifying** प्रकृति का होगा इससे न्यूनतम

33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अंक प्राप्ति के पश्चात् ही अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी।

इस पत्र का अंक मेधा सूची में जोड़ा नहीं जायेगा।

को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

लिखित परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम झारखण्ड कर्मचारी चयन

आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2) संचालन नियमावली (संशोधन सहित) में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।”

4. विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली के नियम-5 (ड.) (1) एवं (iii) में निम्न प्रावधान किये गये हैं:-

“5 (ड.) (i) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा एवं सफल उम्मीदवार ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार होगा-

(क) अनारक्षित वर्ग - 40 प्रतिशत।

(ख) पिछड़ा वर्ग - 36.5 प्रतिशत।

(ग) पिछड़ा वर्ग (अनु० 1) - 34 प्रतिशत।

(घ) अनु० जाति/अनु० जनजाति/महिला वर्ग - 32 प्रतिशत।

लिखित परीक्षा के पश्चात् द्वितीय चरण में कंडिका 5(ड.) के उप कंडिका- (क) एवं (ख) में वर्णित मानक के अनुरूप नियुक्ति पर्वद जो कि आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी। शारीरिक दक्षता की परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा। यह मात्र क्वालिफाईंग प्रकृति का होगा ।

“5 (ड.) (iii) लिखित एवं शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की चिकित्सीय जाँच, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन आयोजित की जायेगी तथा इसमें सफल होना अनिवार्य होगा अन्यथा मेधासूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।”

को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“5 (ड.) (i) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची चयन पर्वद को उपलब्ध कराया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु तिथि एवं चयन केन्द्र स्थल का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक एवं संबंधित से समन्वय कर किया जायेगा। नियमावली की कंडिका 5 (ड.) के उप-कंडिका- (क) एवं (ख) में वर्णित मानक के अनुरूप यचन पर्वद जो कि आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा को कोई अंक देय नहीं होगा। यह मात्र क्वालीफाईंग प्रकृति का होगा ।

5 (ड.) (iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की चिकित्सीय जाँच की जायेगी, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन आयोजित की जायेगी तथा इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। शारीरिक मापदण्ड/दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची चयन पर्वद द्वारा लिखित परीक्षा हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जायेगी। जिसे झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जायेगा। लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्ताक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2) संचालन नियमावली (संशोधन सहित) में किये गये प्रावधान के अनुरूप होगा ।”

5. विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली के नियम-5 (छ) (i) एवं (iii) में निम्न प्रावधान किये गये हैं:-

“5 (छ) (i) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के तीन गुणा संख्या एवं मेधाक्रम में कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन कर इसकी सूची महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित नियुक्ति पर्वद के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी एवं सफल अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची पुनः आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों

की मेधासूची-सह-परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा की जायेगी। रिक्ति रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में नीचे से मेधाक्रम में अभ्यर्थियों की सूची शारिरिक जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु नियुक्ति पर्षद को उपलब्ध करायेगा। मेधाक्रम में नीचे से अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में उक्त कंडिका 5 (ड.) (i) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक का अनुपालन किया जायेगा।

5 (छ) (ii) दो (02) या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की

स्थिति में वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि (जिसका पहले हो) तथा जन्म तिथि समान होने की स्थिति में ऊँचाई (जिसका अधिक हो) के आधार पर की जायेगी।

को विलोपित करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है:-

5 (छ) मेधा सूची का गठन:- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्ति के अनुरूप मेधाक्रम सफल अभ्यर्थियों का अंतिम मेधासूची/परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। मेधासूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (**Equal Marks**) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें मेधासूची में अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की ऊँचाई (जिनका अधिक हो) को उपर स्थान मिलेगा। उक्त स्थितियों में भी समानता होने के स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में उपर रखा जायेगा।”

6. विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में किये गये प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न प्रावधान को भी जोड़ा जाता है, यह प्रावधान झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक-5362, दिनांक-04.09.2019 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में किया जाता है:-

“शारिरिक मापदण्ड अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊँचाई की माप भी चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा तथा इसके निर्णय के विरुद्ध **Apex Medical Board** के समक्ष अपील किया जा सकेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।”

7. विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली से संबंधित निर्गत अधिसूचनाएँ/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायें।

8. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,

सरकार के विशेष सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2023

पत्र संख्या-06/विविध-18/08/2009-5228--TheCriminal Procedure Code, 1973 (as Amended) की धारा-24 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में दायर आपराधिकवादों के संचालन हेतु लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक/विशेषलोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान है । इसके तहत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई है।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत अपर लोक अभियोजक को गृह विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-3510, दिनांक-26.08.2010 के आलोक में आपराधिक पुनरीक्षण/क्वैसिंग मामले में दैनिक एडमिशन शुल्क ₹-450/- एवं दैनिक सुनवाई शुल्क ₹-600/- तथा आपराधिक अपील संबंधी मामलों में दैनिक एडमिशन शुल्क ₹-550/- एवं दैनिक सुनवाई शुल्क ₹-900/- निर्धारित किया गया था । इसके अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या-3002, दिनांक-16.07.2013 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में शनिवार के दिन क्रिमिनल अपील में सुनवाई होने पर सरकार का पक्ष रखने हेतु प्रतिनिष्पादित केस (समेकित रूप से) के लिए ₹-3000/- (तीन हजार रुपये) शुल्क निर्धारित किया गया है । विभागीय संकल्प संख्या-1014, दिनांक-19.02.2014 द्वारा वैसे आपराधिक अपील से संबंधित आई०ए० जिसे दायर करने में 1000 दिनों से ज्यादा का विलंब हुआ है, उन में राज्य सरकार की ओर से प्रति शपथपत्र दायर करने, सुनवाई तथा अन्य प्रयोजनों यथाशीघ्र सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करने आदि के लिए आई०ए० फाइल करने के लिए ₹-150/- प्रति आई०ए० की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है ।

3. विभागीय संकल्प संख्या-3510, दिनांक-26.08.2010 एवं संकल्प संख्या-1014, दिनांक-19.02.2014 के द्वारा निर्धारित शुल्क को विलोपित करते हुए संकल्प संख्या-1414, दिनांक-15.03.2016 द्वारा प्रतिकार्य दिवस के आधार पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में कार्यरत लोक अभियोजकों/अपरलोक अभियोजक को समेकित शुल्क प्रतिकार्य दिवस ₹-1200/- निर्धारित किया गया है ।

4. विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिमाह 18-20 कार्य दिवस होते हैं जिसके आधार पर 1200/- प्रतिकार्य दिवस निर्धारित शुल्क काफी कम शुल्क देय होता है । The Jharkhand Law Officers Engagement Rules 2018 के तहत Engaged अधिवक्ताओं को Private Practice पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है । इस तरह पूर्वनिर्धारित शुल्क के पुनरीक्षित नहीं होने के कारण राज्य सरकार के मुकदमों में पैरवी हेतु अधिवक्ता गण अभिरुचि नहीं ले रहे हैं । इसलिए महाधिवक्ता कार्यालय से शुल्क पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

5- Criminal Appeal (D.B.) No.-1134 of 2012 with IA No.-7382/2017- Prakash Kisku & Ors. vs. The State of Jharkhand में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14.12.2018 को पारित आदेश की कंडिका-3 में निम्न निदेश दिया गया है-

Chief Secretary is hereby directed to look into the matter that normally when the lawyer is not appearing, they must be paid per matter the Court Fees so that they may remain present and assist the Court, especially in criminal matter. Criminal matter cannot be conducted without APP. Hence, we hereby request the State of Jharkhand to formulate policy so that APP may get per matter their fees which will not only secure their presence but they will effectively and efficiently argue out their case in the Court.

6. उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में लोक अभियोजक/अपरलोक अभियोजक/विशेषलोक अभियोजक के शुल्क के पुनरीक्षण हेतु दिनांक-01.03.2019 को महाधिवक्ता, झारखण्ड, प्रधानसचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची तथा प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग के स्तर पर एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में न्यायालय में लंबित आपराधिकवादों में ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए लोक अभियोजक/अपरलोक अभियोजक/विशेषलोक अभियोजक को देय शुल्क के पुनरीक्षण हेतु अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजक/अपरलोक अभियोजक/विशेषलोक अभियोजक का शुल्क निम्नवत निर्धारित किया जाय-

क्र.	पदनाम	प्रतिधारण शुल्क	दैनिक शुल्क
1	Public Prosecutor	Rs-15000/-	1. Rs-1500/- (Actual appearance & disposal of matters except Bail/ Anticipatory Bail) 2. Rs-1000/- (Actual appearance and disposal of matters of Bail/ Anticipatory Bail) 3. Minimum Rs-1200/- (if in a particular day cases are assigned and are heard but not disposed) Subject to maximum 4 cases per day.
2	Additional Public Prosecutor/ Special Public Prosecutor	Rs-7500/-	1. Rs-1200/- (Actual appearance & disposal of matters except Bail/ Anticipatory Bail) 2. Rs-750/- (Actual appearance and disposal of matters of Bail/ Anticipatory Bail) 3. Minimum Rs-1000/- (if in a particular day cases are assigned and are heard but not disposed) Subject to maximum 3 cases per day.

7. महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त पत्र-15477, दिनांक-06.12.2022 के माध्यम से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में कार्यरत अपरलोक अभियोजक, विशेषलोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक के शुल्क पुनरीक्षण का अनुरोध किया गया है। शुल्क पुनरीक्षण का आधार मौजूदा महँगाई दर, निजी व्यवसाय को प्रतिबंधित तथा प्राप्त शुल्क से ही निजी सहायक/कर्मों के खर्च का वहन करना उल्लेखित किया गया है। उक्त के आलोक में वित्त विभाग के अनुशंसा के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजक/अपरलोक अभियोजक/विशेषलोक अभियोजक का शुल्क निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

क्र.	पदनाम	प्रतिधारण शुल्क	दैनिक शुल्क
1	Public Prosecutor	Rs-18000/-	1. Rs-2500/- (Actual appearance & disposal of matters except Bail/ Anticipatory Bail) 2. Rs-1800/- (Actual appearance and disposal of matters of Bail/ Anticipatory Bail) 3. Minimum Rs-1500/- (if in a particular day cases are assigned and are heard but not disposed) Subject to maximum 4 cases per day.
2	Additional Public Prosecutor/ Special Public Prosecutor	Rs-9000/-	1. Rs-2200/- (Actual appearance & disposal of matters except Bail/ Anticipatory Bail) 2. Rs-1700/- (Actual appearance and disposal of matters of Bail/ Anticipatory Bail) 3. Minimum Rs-1500/- (if in a particular day cases are assigned and are heard but not disposed) Subject to maximum 3 cases per day.

8. यह दर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी। इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना निरस्त माने जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2023

संख्या-13/ई0-102/2021-3406—राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य में आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०- 13/सी०-205/ 2009-260, दिनांक 21.09.2015 द्वारा आतंकवाद निरोधी दस्ता का गठन किया है । जबकि अधिसूचना संख्या-16/थाना-27/2015-247, दिनांक-28.01.2016 के तहत आतंकवाद निरोधी दस्ता के थाने को भी अधिसूचित किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार पूरा झारखण्ड राज्य है। साथ ही गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1255, दिनांक-30.03.2022 द्वारा आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्य स्तरीय थाने को संगठित अपराध के विरुद्ध झारखण्ड राज्य में कहीं भी संगठित आपराधिक गिरोह/संगठन/सदस्य के विरुद्ध विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुसार छापेमारी, गिरफ्तारी एवं अनुसंधान हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

समान्यतः आतंकवाद एवं संगठित अपराधकी कड़ियाँ सामान्यतः आपस में जुड़ी रहती हैं । आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण (**Funding**) हेतु संगठित आपराधिक गिरोहों और संगठित आपराधिक गतिविधियों जैसे भयादोहन, मादक पदार्थों के अवैध धंधे, तस्करी आदि का सहारा लिया जाता है । अवैध अल्कोहल (स्प्रीट)/मदिरा के चौर्य व्यापार/ निर्माण/ परिवहन/ ब्रिकी/ वितरण से संबंधित संगठित आपराधिक गिरोहों पर भी नियंत्रण हेतु आतंकवाद निरोधी दस्ता द्वारा इन अपराधों पर पैनी निगाह रखे जाने तथा उन पर आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि राजकोषीय क्षति नहीं हो एवं इससे संबंधित गंभीर अपराधों पर ससमय समुचित नियंत्रण तुरन्त प्राप्त किया जा सके ।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में उपर वर्णित अपराधों पर समुचित नियंत्रण हेतु आतंकवाद निरोधी दस्ता को पूर्व में दिये गये प्राधिकार से संबंधित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-1255, दिनांक-30.03.2022 की कंडिका-3 में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त निम्न तथ्य जोड़ा जाता है:-

“ इसके अतिरिक्त आतंकवाद निरोधी दस्ता एवं इसके राज्य स्तरीय थाने को झारखण्ड राज्य में कहीं भी अवैध अल्कोहल (स्प्रीट)/मदिरा के चौर्य व्यापार/निर्माण/परिवहन/ब्रिकी/वितरण से संबंधित गंभीर काण्डों, जिसमें संगठित आपराधिक गिरोह, अन्तर्राज्यीय एवं राज्यान्तर्गत पेशेवरों के शामिल होने एवं इसके कारण विधि व्यवस्था में गड़बड़ी तथा जान-मालकीक्षति, बड़े राजकोषीय क्षति किये जाने की संभावना इत्यादि हो, के विरुद्ध विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुसार छापेमारी, गिरफ्तारी एवं अनुसंधान हेतु प्राधिकृत किया जाता है । ”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

13 सितम्बर, 2023

पत्रांक संख्या-15/8/एम०-4012/2007-4166--

विषय:- पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने के संबंध में प्रक्रियाओं में संशोधन के संबंध में ।
विभागीय संकल्प संख्या-426/ सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 द्वारा राज्य के पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर प्रत्येक वर्ष झारखण्ड राज्यपाल पदक, झारखण्ड पुलिस पदक एवं झारखण्ड मुख्यमंत्री पदक प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है ।

2. सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-
 - I. संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 की कंडिका-07 में निम्न प्रावधान है:-
"प्रस्तावों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति गठित होगी जिसमें गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे ।
को निम्न वत्प्रतिस्थापित किया जाता है:-
"प्रस्तावों पर विचार करने हेतु स्क्रीनिंग समिति निम्न प्रकार होगी:-
 1. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव,-अध्यक्ष ।
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखण्ड, राँची ।
 2. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, -सदस्य ।
झारखण्ड, राँची।
 3. महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,-सदस्य ।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची ।
 - II. संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 की कंडिका-09 में निम्न प्रावधान है:-
"उपर्युक्त तीनों पदकों के लिए प्रसंगाधीन अवधि गत वर्ष के पहली नवंबर से पुरस्कृत किये जाने वाले वर्ष के 31 अक्टूबर तक होगी ।"

को निम्न वत्प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“उपर्युक्त तीनों पदकों के लिए प्रसंगाधीन अवधि गत वर्ष के पहली नवंबर से पुरस्कृत किये जाने वाले वर्ष के **31** अक्टूबर तक होगी, परन्तु विशेष परिस्थिति में वीरता के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री पदक संबंधी ऐसे प्रस्तावों पर भी समिति विचार कर सकेगी, जिनके घटित होने की समयावधि एक वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, परन्तु कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न हुआ हो । इस तरह के प्रस्तावों पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विलंब के यथोचित व्याख्या/कारणों तथा विलंब अवधि को क्षांत करने का स्पष्ट अनुशंसा किया जाना अनिवार्य होगा । इस तरह के प्रस्तावों पर विचार करने का अंतिम निर्णय समिति का होगा ।

3. संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-**13.11.2001** की शेष कंडिका यें यथावत रहेंगी ।
4. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-**06.09.2023** की बैठक के मद संख्या-**36** में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

4 जनवरी, 2023

संख्या- 45--

विषय:- राज्य गठन से पूर्व उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिक स्व. पुरन महतो के आश्रित को अनुग्रह-अनुदान/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में ।

1- W.P.(C) No. 6597 of 2011 Mukesh Chandra Prajapati Vs State of Jharkhand & Ors में दिनांक & 27-10-2022 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया

..... Government has given benefits to the person on the basis of subsequent scheme / circular issued by the Government and on the basis of order passed by the Co-ordinate Bench of this Court on 22.03.2010, passed in W.P.(C) No. - 3038 of 2007, which was also modified vide order dated 07.05.2010 passed in CMP No.- 160 of 2010 dated 07.05.2010 such victim of extremist assassination of the innocent person, relief has been granted to some of the dependent of the deceased as such, this Court may direct the respondent-authorities to prepare a table with regard to name of deceased, date of occurrence, the compensation awarded under which Circular and on which date. The case of the petitioner may also be decided and compensation may be awarded to the petitioner in accordance with law.

..... Respondent - State of Jharkhand is directed to take a decision within a period of 60 days from the date of communication of a copy of this order with regard to entitlement of the petitioner under the Government scheme and also serve a copy(s) of such relief granted to the victims of such occurrence , for which compensation has been paid under the Government Circular by providing the name of the deceased name of the beneficiary date of occurrence, date of payment of compensation and reason for paying such compensation under which scheme.

2. स्व० पुरन महतो, ग्राम-सलगी लालू टोली, थाना-कुड़ू, जिला-लोहरदगा की हत्या दिनांक-18.01.2000 को तत्समय क्रियाशील संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा संगठन के अपराधकर्मियों द्वारा की गयी है। यह संगठन घटना के समय मात्र एक अपराधी संगठन था, तदनुसार इस संगठन द्वारा मारे गये किसी भी व्यक्ति के आश्रित को तत्समय प्रभावी परिपत्र के आलोक में किसी भी प्रकार का लाभ दिनांक-11.04.2013 तक अनुमान्य नहीं था। इस संगठन को गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या-1783, दिनांक-11.04.2013 द्वारा गठन की तिथि से अवैध घोषित करते हुए प्रतिबंधित किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी के पिता स्व० पूरन महतो की दि० - 18.01.2000 को प्रतिबंधित संगठन द्वारा मृत्यु कारित होने के कारण तत्समय प्रभावी बिहार सरकार द्वारा

निर्गत परिपत्र संख्या-1701, दिनांक-21.09.1987 के प्रावधान की परिधि में आने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय तार्किक आदेश संख्या-2719, दिनांक-07.07.2022 द्वारा स्व० पूरन महतो के आश्रित दावेदार पुत्र श्री मुकेश चन्द्र प्रजापति को 20,000/- (बीस हजार) रुपये मात्र की अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त परिपत्र में उग्रवादी हिंसा में मारे गये व्यक्ति के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं रहने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई।

3. उक्त आदेश के संबंध में वादी द्वारा दायर Cont. Case No.-218 of 2022 में दिनांक-02.09.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:-

-----Learned counsel for the petitioner has further submitted that without considering the second part of the order, the officer concerned has past and order for compensation of Rs. 20,000/- which is a meager amount.

Learned counsel for the petitioner has further submitted that Puran Mahto died on 18-01-2000, where as the husband of Hiramani Who died in extremist violence of 23.09.1998, has been granted a compensation of Rs. 1,00,000/- with interest @ 9% per annum from the date of expiry of the stipulate period, till the date of final payment and has also been granted service to the dependent pursuant to the order dated 22.03.2010 passed in W.P.(C) No. - 3038 of 2007, which was subsequently modified in terms of order dated 07.05.2010 passed in C.M.P. No. 160 of 2010, which was upheld by the Hon'ble Division Bench of this Court in LPA No. 297 of 2010, as such, the State may be directed to give the list of the persons who have been provided such schemes. Though this petitioner has died before coming of the State of Jharkhand in existence, like the husband of Hiramani, who died on 23.09.1998, whereas Puran Mahto has died on 18.01.2000 after the death of husband of Hiramani, but the compensation has not been granted in uniform manner.

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में Cont. Case No.-218 of 2022 में दिनांक-02.09.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक-14.12.2022 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मदसंख्या-27 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में एतद संबंधी सभी नियमों/प्रावधान को शिथिल करते हुए मृतक स्व० पूरन महतो के आश्रित पुत्र श्री मुकेश चन्द्र प्रजापति (आवेदक) को रू० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति एवं अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2023

पत्र संख्या-06/विविध-07/2022-5229—The Jharkhand law officers Engagement Rules, 2018 के तहत गठित Selection Committee की बैठक में कुल-07 (सात) जिलों के व्यवहार न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजक का चयन किया गया है ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-2468 दिनांक-14.06.2022 द्वारा उपर्युक्त जलों में चयनित अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। उक्त विशेषलोक अभियोजक का दैनिक सुनवाई शुल्क का दर निर्धारण बाद में करने का निर्णय लिया गया है ।

3. झारखण्ड राज्य के जिला व्यवहार न्यायालयों में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक के शुल्क निर्धारण नहीं किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या-768 दिनांक-10.02.2016 द्वारा जिला न्यायालयों में अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत उदभूतवादों के संचालन हेतु अधिवक्ता वर्ग से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक का शुल्क 500/- (दैनिक सुनवाई शुल्क) निर्धारित किया गया है ।

4. उक्त शुल्क वर्ष 2016 में निर्धारित किया गया था। उक्त शुल्क दर के निर्धारण हेतु विधि विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। विधि विभाग द्वारा उक्त शुल्क दर 1000/- करने का परामर्श दिया गया है ।

5. उक्त परामर्श के आलोक में जिला व्यवहार न्यायालयों में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक का दैनिक सुनवाई शुल्क 1000/- रुपये किया जाता है ।

6. यह दर अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रवि शंकर विद्यार्थी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

11 सितम्बर, 2023

विषय- निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गति विधियों/दुर्भाग्य पूर्ण दुर्घटना में घायल पुलिस-कर्मियों/अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त/कार्यरत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलकर्मों के स्थायी रूप से विकलांग/दिव्यांग होने पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान (Ex-Gratia Lump-Sum Compensation) की अनुमान्य राशि में संशोधन के संबंध में ।

संख्या-18/विविध (07)-01/2022-4130--कर्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों में घायल पुलिस कर्मियों एवं अन्य सरकारी सेवकों (राज्य में प्रतिनियुक्त/कार्यरत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल सहित) जो स्थायी रूप से विकलांग/दिव्यांग हो जाते हैं, को विभागीय संकल्प संख्या-5404, दिनांक-23.10.2002 के कंडिका-3 (घ) के तहत उनके विकलांगता के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति द्वारा अनुशंसित अनुग्रह अनुदान राशि (अधिकतम 3.5 लाख) की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

उक्त संकल्प के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि हिंसक गतिविधियों में कर्तव्य अवधि के दौरान घायल सरकारी सेवकों को 3.50 लाख रुपये की अधि सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा, परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में गुण एवं दोष के आधार पर विचार कर यह निर्णय लेना होगा कि संबंधित सरकारी सेवक को हुई शारीरिक क्षति को देखते हुए उसे कितनी राशि स्वीकृत की जाय। अतएव ऐसे मामलों में समुचित प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ लाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मामले के गुण एवं दोष पर विचार कर, अनुग्रह अनुदान समिति द्वारा अपनी अनुशंसा दी जाएगी, जिसमें राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-208, दिनांक-13.09.2019 के कंडिका-4 (पपप) द्वारा लोकसभा/विधानसभा/शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत चुनाव के दरम्यान दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर निम्नवत अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है:-

- 05% से अधिक परन्तु 20% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-75 हजार रुपये।
- 20% से अधिक परन्तु 25% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-1.5 लाख रुपये।
- 25% अधिक परन्तु 50% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-4.5 लाख रुपये।
- 50% से अधिक परन्तु 75% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-06 लाख रुपये।

75% से अधिक परन्तु 100% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-7.5 लाख रुपये।

(उग्रवादी/असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों के कारण स्थायी विकलांगता जो लैंडमाईस, बम विस्फोट, सशस्त्र हमलों आदि द्वारा घटित होती है, तो मुआवजे की राशि उपर्युक्त राशि की दोगुणा राशि अनुमान्य होगी)

3. विभागीय संकल्प संख्या-5404, दिनांक-23.10.2002 के प्रावधान के लागू हुए दो दशक से अधिक की लंबी अवधि बीत चुकी है। इस दरम्यान महंगाई में गुणोत्तर बढ़ोतरी होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त विभागीय संकल्प द्वारा प्रावधानित राशि को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-208, दिनांक-13.09.2019 के समरूप अभिवृद्धि करने की आवश्यकता सरकार द्वारा महसूस की जा रही है।

4. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों/दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल पुलिस-कर्मियों/अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त/कार्यरत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कर्मी, जो स्थायी रूप से विकलांग/दिव्यांग हो जाते हैं, को उनके विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर अनुग्रह अनुदान स्वीकृत कर ने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या-5404, दिनांक-23.10.2002 के प्रावधान को निम्नवत्संशोधित किया गया है:-

(i) निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल पुलिस कर्मियों/अन्य सरकारी सेवकों/झारखण्ड राज्यान्तर्गत प्रतिनियुक्त/कार्यरत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कर्मी के स्थायी रूप से विकलांग/दिव्यांग होने के फलस्वरूप अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान (Ex-Gratia Lump-Sum Compensation) की राशि निम्नवत् होगी-

05% से अधिक परन्तु 20% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-75 हजार।

20% से अधिक परन्तु 25% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-1.5 लाख।

25% से अधिक परन्तु 50% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-4.5 लाख।

50% से अधिक परन्तु 75% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-06 लाख।

75% से अधिक परन्तु 100% तक की विकलांगता की स्थिति में मुआवजा राशि-7.5 लाख।

(ii) उग्रवादी/असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों यथा लैंडमाईस, बम विस्फोट को, सशस्त्र हमलों आदि द्वारा घटित घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता प्राप्त पुलिस कर्मी/अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखण्ड राज्यान्तर्गत प्रतिनियुक्त/कार्यरत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कर्मी को उपर्युक्त राशि की दोगुणा राशि अनुमान्य होगी।

(iii) उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति पुलिस मुख्यालय के अनुशंसा पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा।

(iv) विकलांगता के मामलों में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जायेगा।

(v) उक्त राशि बजट शीर्ष-“2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-800-अन्य व्यय-09-उग्रवादी घटनाओं में मारे गये/घायल पुलिसकर्मी/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह- अनुदान -06-अनुदान -49- आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22s207000800090649 के अंतर्गत विकलनीय होगी।

(vi) यह प्रावधान पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

5.पत्र निर्गत तिथि के पूर्व के वैसे मामले, जो विचाराधीन हो, के अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति उपर्युक्त कण्डिका 4 (iii) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पूर्व निर्धारित अधिसीमा रू. 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपये) मात्र के अन्तर्गत किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

15 सितम्बर, 2023

संख्या-13/आई०पी०एस०-109/2023-4258—श्री कुमार शिवाशीष, भा०पु०से०, परीक्ष्यमान सहायक पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को दिनांक-23.09.2023 से 01.10.2023 तक निजी प्रयोजन हेतु निजी व्यापार विदेश (इंग्लैंड, स्कॉटलैण्ड एवं वेल्स) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।
